



परिपत्र

विषय: जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा फ़िल्ड में की जा रही गतिविधियों की मोनिटरिंग के लिए प्रमुख बिन्दु।

1. **पीएचईडी कनैक्शन:-** आगामी महिनों में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की समस्या को देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पीएचईडी कनैक्शन को दी जानी है जिसके तहत उपखण्ड वार एवं कनिष्ठ अभियन्ता वार जितने भी पीएचईडी कनैक्शन लम्बित हैं उनको एक अभियान चलाकर आगामी सात दिनों में ही चालू किया जाना है इसके लिए समस्त प्रभारी अधिकारी जिलों का दौरा करें तथा पीएचईडी अधिकारियों से सम्पर्क करें व साथ ही पीएचईडी के लम्बित बिलों की राशि, लम्बित डिमाण्ड राशि एवं लम्बित अण्डर टेकिंग की राशि भी जिले वार निकाल कर प्राप्ति हेतु कार्यवाही करें तथा हर हालत में 30 अप्रैल 2013 तक आवेदित कनैक्शनों को चालू किया जावे ।
2. **मुख्य मंत्री सब के लिए विद्युत योजना:-** माननीय मुख्य मंत्री महोदय की पहली प्राथमिकता है कि इस योजना के तहत बजट घोषणा के अनुसार पूरे राजस्थान में एक लाख कनैक्शन दिए जाने हैं जबकि जिलों में अभी तक इसकी प्रगति बहुत धीमी रही है अतः इसके लिए वर्तमान में खेतों में बसी ढाणियों को भी शामिल करने की छूट दी जा चुकी है और यदि 2003 की सर्वे की कोई ढाणी मौके पर नहीं मिलकर खेतों में बसी है तो उसे भी कनैक्शन दिया जाना है अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपखण्ड व सब आफिस वार कनिष्ठ अभियन्ता को लक्ष्य दिये जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि उनके क्षेत्र में 5 परिवारों के ग्रुप में 2 किमी तक एचटीएलटी लाईन व 2 लाख पचास हजार रुपये की खर्च सीमा तक कनैक्शन हेतु यदि आवेदन प्राप्त होते हैं तो सब को कनैक्शन देने की कार्यवाही की जावे । अब तक इस योजना में जिनके डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं उनको तुरन्त कनैक्शन जारी किये जावे तथा जिन आवेदकों के डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हुए हैं उनको डिमाण्ड नोट जारी कर योजना का प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक संख्या में आवेदन जमा करवाकर कनैक्शन जारी किए जाने की कार्यवाही की जावे ताकि बजट घोषणा के लक्ष्यों को माह सितम्बर 2013 तक प्राप्त किया जा सके ।

3. किसानों को कृषि हेतु विद्युत कनैक्शन:- बजट घोषणा में यह भी निर्देशित किया गया है कि पूरे राजस्थान में इस वर्ष 75 हजार कृषि कनैक्शन दिए जाने हैं जिनको एक अभियान चलाकर सितम्बर 2013 तक दिए जाने के लक्ष्य हैं इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—
- (अ) जितने भी कृषि कनैक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं उनका कार्य सीएलआरसी के तहत लक्ष्य दिए जाकर माह वार प्रगति की समीक्षा की जावे और इस हेतु उपखण्ड वार लक्ष्य निर्धारित करते हुए समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को पाबन्द किया जावे कि वे हर हालत में प्रति माह आवंटित लक्ष्यों को पूरा करें। इसके लिए जिले में समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जावेगा ताकि वे अपने स्तर पर सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता को पाबन्द करके समय रहते इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाक्षिक प्रगति से मुख्यालय को अवगत करावें।
- (ब) जिन किसानों के डिमाण्ड नोट जारी हो गये हैं लेकिन अभी तक जमा नहीं हुए हैं उनको स्मरण पत्र जारी कर हर हालत में 15 दिन में जमा करवाने की कार्यवाही की जाकर कनैक्शन जारी किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- (स) जिलों में बून्द बून्द सिंचाई योजना के तहत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (टीएसपी) एरिया वाले आवेदकों को डिमाण्ड नोट जारी किए जावें और उनको भी कनैक्शन जारी किए जाने की कार्यवाही सितम्बर 2013 तक पूरी करली जावे।
- (द) कृषि कनैक्शनों के लिए उपखण्ड वार जो सीएलआरसी ठेकेदार कार्य कर रहे हैं उनको समानुपातिक आधार पर सभी को एक साथ काम दिया जावे ताकि अभियान के रूप में कार्य पूरा हो सके। इस कार्य के लिए जितने भी सामान की आवश्यकता हो उसके लिए प्रभारी अधिकारी मुख्य अभियन्ता (एमएम) से बात कर समयबद्ध तरीके से अपने प्रभार वाले जिलों में सामान आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
4. 4000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को 3 फेश लाईन से जोड़ने का कार्य :—माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में यह घोषणा की थी कि आगामी वर्ष में 4000 व 4000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को 3 फेश कनैक्शन की सुविधा दी जावेगी। प्रायः अधिकांश ऐसे गाँवों में 33 केवी के जीएसएस बने हुए हैं व

5000 से अधिक आबादी वालें गांवों में यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अतः इस कार्य में ज्यादा समय लगने की सम्भावना नहीं हैं। इस कार्य के लिए भी अधिशाषी अभियन्ता को जिम्मेदारी दी जावे तथा प्रत्येक उपखण्ड वार इससे वंचित गाँवों की सूची बनाकर 3 फेश की लाईन खींचे जाने की कार्यवाही जून 2013 तक सुनिश्चित करें। मुझे विश्वास है कि एक अभियान चलाकर इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सकता है। इस कार्य हेतु भी सामान की व्यवस्था के लिए एमएम विंग से सम्पर्क करके शीघ्र जिलों को सामान पहुंचाया जावे।

5. 33 केवी के नए जीएसएस बनाने का कार्य:- बजट में पूरे राजस्थान में 400 नए 33 केवी के जीएसएस बनाए जाने की घोषणा की गई थी। प्रत्येक जिले में जितने भी जीएसएस स्वीकृत हैं व निर्माणाधीन हैं या कार्य शुरू किया जाना बाकी है को हर हालत में इसी वित्तीय वर्ष में चालू करके पूरा करना है। इसके लिए जितने भी जीएसएस सीएलआरसी के माध्यम से करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं उनका शीघ्र कार्य शुरू किया जावे। इसके लिए सामान की व्यवस्था हेतु एमएम विंग से सम्पर्क करके जिलों को सामान पहुंचाया जावे। इस कार्य के लिए अधिशाषी अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराये जावेंगे ताकि वे अपने डिविजन के कार्य की मोनिटरिंग करके जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करा सकें।

6. सरकारी स्कूलों के उपर से गुजर रही विद्युत लाईनों को हटाने का कार्य :- माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले विडियों कान्फ्रेन्सिंग के दौरान सरकारी स्कूलों के उपर से गुजर रही विद्युत लाईनों के बारे में नाराजगी व्यक्त की थी जिसके पश्चात यह तय किया गया कि विद्युत कम्पनियाँ अपने खर्च पर ही सभी सरकारी स्कूलों पर से गुजर रही लाईनों को हटाने का कार्य करेंगे। इसके लिए निर्देश दिए जाते हैं कि गर्मियों में स्कूलों की छुटियाँ होनी है अतः इस कार्य को ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूलों के खुलने से पूर्व ही हर हाल में पूरा कर लिया जावे। इसके लिए समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को व्यक्तिगत जिम्मेदारी देते हुए पाबन्द किया जावे कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी स्कूलों का मौका निरीक्षण करके उनके उपर से गुजर रही लाईनों को हटाने का कार्य सीएलआरसी के ठेकेदार से करवाये जाने का आदेश जारी करें और हर हालत में स्कूलों के ग्रीष्मावकाश के दौरान ही इस कार्य को पूरा किया जाना सुनिश्चित करें।

